भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6435

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत की उच्चतम मांग

6435. श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री शंकर लालवानीः
श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती कमलेश जांगड़े
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर हाल के ग्रीष्म ऋतु के दौरान दर्ज की गई उच्चतम मांग के स्तर को ध्यान में रखते हुए हाल ही में देश में बिजली/ऊर्जा की अधिकतम मांग के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी अधिकतम उच्च मांग दर्ज की गई है और बिजली/ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में बिजली/ऊर्जा की मांग में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने और पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : देश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) के लिए देश की अधिकतम मांग और ऊर्जा आवश्यकता के हिसाब से 'विद्युत आपूर्ति की स्थिति' का ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है। 'आपूर्तित ऊर्जा और अधिकतम मांग', 'ऊर्जा आवश्यकता और अधिकतम मांग' के अनुरूप है, जिसमें केवल मामूली अंतर है जो आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2029-30 के लिए विद्युत की अधिकतम मांग और ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 345 गीगावाट और 2,388 बीयू रहने का अनुमान है; और वित्त वर्ष 2031-32 के लिए, विद्युत की अधिकतम मांग और ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 388 गीगावाट और 2703 बीयू रहने का अनुमान है।

भारत सरकार ने देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन और भंडारण आयोजना:

i. राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित उच्चतम मांग से आगे रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद आयोजना भी शामिल है।

ii. सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करें।

iii. विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

(क) दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट की तुलना में वर्ष 2034-35 तक कोयला एवं लिग्नाइट आधारित क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं: -

अप्रैल 2023 से 31.01.2026 तक लगभग 18,160 मेगावाट की ताप क्षमता पहले ही कमीशन की जा चुकी है। इसके अलावा, 38,745 मेगावाट ताप क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए गए हैं और इनका निर्माण होना बाकी हैं। इसके अतिरिक्त, 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में आयोजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 12,723.50 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं दिनांक 31.01.2026 तक निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की परमाणु क्षमता दिनांक 31.01.2026 तक निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 64,670 मेगावाट सौर, 6,490 मेगावाट पवन और 59,990 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,54,830 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता

निर्माणाधीन है, जबकि 35,440 मेगावाट सौर और 10,080 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 47,920 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 13,120 मेगावाट/78,720 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 9,580 मेगावाट/57,480 मेगावाट-घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। दिनांक 31.01.2026 तक, 10,658.94 मेगावाट/28,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) निर्माणाधीन हैं तथा 22,347.15 मेगावाट/69,836.70 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

2. पारेषण आयोजना: अंतर्राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस साल की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिशानिर्देश दिनांकित 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों से उत्पन्न होने वाली आरओडब्ल्यू की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना:

i. दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी सहित) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवार्ड होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।

ii. ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

iii. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।

iv. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

v. तीव्र आरई ट्रजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।

vi. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।

vii. बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।

viii. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

ix. नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं पर लागू होता है, उसके अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी।

x. "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति" जारी की गई है।

xi. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा पावर की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम) तथा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किए गए हैं।

xii. सौर पीवी मॉड्यूल के आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू की गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 6435

अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) के लिए देश की अधिकतम मांग और ऊर्जा आवश्यकता के संदर्भ में 'विद्युत आपूर्ति की स्थिति' का विवरण:

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा				अधिकतम			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा		अधिकतम मांग	अधिकतम आपूर्ति	अनापूर्तित मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.0
2025-26 (दिनांक फरवरी, 2026)	15,59,347	15,58,892	454	0.0	2,45,444	2,45,416	28	0.0
